

वधिकि माप वजिज्ञान (पैकेज्ड क्मोडटिज़) नयिम 2011

उपभोक्ता मामले वभिाग ने [इलेक्ट्रॉनिकि उद्योगों](#) के लयि अनुपालन बोझ को क्म करने और इनके व्यापार को **सुगम बनाने हेतु वधिकि माप वजिज्ञान (पैकेज्ड क्मोडटिज़) नयिम 2011 में संशोधन कयि है ।**

- इससे पहले लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड क्मोडटिज़), नयिम 2011 के नयिम 5 को उपभोक्ताओं के हतियों की रक्षा के लयि छोड़ दयि गयि थि ।
 - नयिम 5 वभिनिन प्रकर की वस्तुओं के पैक के आकार को नरिधरति करते हुए अनुसूची II को परभिषति करत है ।

संशोधन:

- इलेक्ट्रॉनिकि उत्पादों को एक वरष की अवधिके लयिक्यूआर (त्वरति प्रतकिरयि) कोड के माध्यम से कुछ अनविर्य घोषणाओं को घोषति (यदि पैकेज में ही घोषति नहीं कयि गयि है) करने की अनुमतति देत है ।
 - वकिल्प एक साल के लयि दयि गयि है क्यूंकि सरकर पायलट आधर पर पहली बार प्रौद्योगकि का उपयोग करने की कोशशि कर रही है और प्रतकिरयि के आधर पर इसे बढ़ाने का फैसल करेगी ।
- हालॉक उद्योग को पैकेज पर ही अधिकितम खुदरा मूल्य (MRP), फोन नंबर और ई-मेल पतल जैसे अनविर्य वविरण घोषति करने होंगे ।
 - क्यूआर कोड के माध्यम से अतरिकित अनविर्य घोषणारू जैसे नरिमातल का पतल, वस्तु का सामान्य नलम, वस्तु का आकार और आयल व ग्राहक सेवा की अनुमतति है ।
- इससे पहले, इलेक्ट्रॉनिकि उत्पादों सहति सभी पूर्व-पैक वस्तुओं के पैकेज पर लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड क्मोडटिज़), नयिम 2011 के अनुसार सभी अनविर्य घोषणाओं को घोषति करनल आवश्यक है ।

वधिकि माप वजिज्ञान (पैकेज्ड क्मोडटिज़) नयिम 2011:

- यह भरत में पहले से पैक की गई वस्तुओं को नयित्तरति करत है और अन्य बतों के सलथ-सलथ ऐसी वस्तुओं की बकिरी से पहले कुछलेबललि आवश्यकतलओं को अनविर्य करत है ।
- कानूनी माप वजिज्ञान अधनियिम, 2009 कल मुख्य उद्देश्य वजन और उपायों के नलनकों को स्थापति करनल तथल ललगू करनल, वजन, उपायों, अन्य सामानों में व्यापार व वलणज्य को वनियिमति करनल है जो वजन, माप यल संख्या और कसि भी अन्य मामले से जुड़े हुए हैं, जो बेचे यल वतितरति कयि जलते हैं ।
 - अधनियिम के अनुसार, केंद्र सरकर अंतर-राज्यीय व्यापार और वलणज्य से संबंधति करतव्यों कल पलन करने के लयि कानूनी माप वजिज्ञान के नदिशक की नयिकृत्कि कर सकती है ।
 - राज्य सरकर अंतरराज्यीय व्यापार और वलणज्य से संबंधति करतव्यों कल पलन करने के लयि कानूनी माप वजिज्ञान नयित्तरक नयिकृत् कर सकती है ।
- संबंधति पहल:
 - [उपभोक्ता संरकषण अधनियिम, 2019](#)
 - [खलदय सुरकषल और नलनक \(लेबलि एवं परदरशन\) वनियिम मसौदल](#)
 - [उपभोक्ता कलयलण कोष](#)
 - [केंद्रीय उपभोक्ता संरकषण परषिद](#)
 - [उपभोक्ता संरकषण नयिम, 2021](#)
 - [उपभोक्ता संरकषण \(ई-कॉमरस\) नयिम, 2020](#)
 - [राष्ट्रीय उपभोक्ता दविस](#)

स्रोत: पी.आई.बी.

